हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय, हरियाणा
सामान्य प्रशासन विभाग

सरकारी आदेश

क्रमांक 52/3/2015–3जीएस III

दिनांक : 18.01.2016

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रशासकीय सचिव।
2. राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।
3. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मण्डल ।
4. सभी बोर्डों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी मुख्य प्रशासक तथा प्रबंध निदेशक।
5. डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) हरियाणा चण्डीगढ़।
6. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय,चण्डीगढ़ ।
7. सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।
8. हरियाणा राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।
9. प्राचार्य हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान (HIPA) सैक्टर–16, पंचकूला।

विषयः– **चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवाना।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कृप्या हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 52/77/88–एस(1), दिनांक 11 जनवरी, 1989 तथा हिदायतें क्रमांक 52/3/94–एस. I, दिनांक 17.03.1994 की ओर ध्यान दें जिस में यह अवलोकन किया गया था कि सरकार को स्पष्ट हिदायतों के बावजूद भी कई विभागों द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में पहले सम्बन्धित उपायुक्त तथा डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) से पत्र व्यवहार नहीं किया जाता और उन द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन नियुक्ति से पूर्व करवाने के स्थान पर नियुक्ति के बाद करवाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति से छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव (सेवाएं विभाग) को भेज दिए जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सन्दर्भित परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के सम्बन्ध में विभाग पहले सम्बन्धित उपायुक्त तथा डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) से पत्र व्यवहार करें और यदि उनसे उत्तर आने में देरी हो तो तब ही चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन के बारे में जारी की गई हिदायतों में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव मुख्य सचिव (सेवाएं विभाग) को भेजा जाए। इन हिदायतों में यह भी स्पष्ट किया गया था कि छूट केवल विशेष केसों में ही देने बारे विचार किया जा सकता है और सामान्यतः प्रत्येक विभाग को सरकार द्वारा जारी की गई नीति सम्बन्धी निदेशों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।

ऐसा देखने में आया है कि कई विभागों द्वारा उक्त हिदायतों की अनुपालना नहीं की जा रही है और चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में बिना कोई प्रयास किए ही नियुक्ति से पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन करवाने से छूट/ढील सम्बन्धी प्रस्ताव इस विभाग को भेज दिए जाते हैं जो कि सरकार की हिदायतों के विपरीत है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में उन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा जो सरकार की हिदायतें क्रमांक 52/3/94–एस. I, दिनांक 17.03.1994 कचे अनुदेशों के अनुकूल नहीं होंगे। इस स्थिति में आपसे पुनः अनुरोध है कि सरकार के परिपत्र क्रमांक 52/77/88–एस(1), दिनांक 11.1.89 तथा हिदायतें क्रमांक 52/3/94–एस. I, दिनांक 17.03.1994 द्वारा जारी किये गये निदेशों की दृढ़ता से अनुपालना की जाये।

भवदीय

नरेन्द्र कुमार

अधीक्षक सामान्य सेवायें–III
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

आंतरिक वितरणः–

उपरोक्त निर्देशों को राज्य सरकार की वैबसाईट पर डालने के लिए एन.आई.सी. प्रभारी उत्तरदायी होगा।